

भारत-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या
असमंजस के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देने समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट
समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी
जाए।)

*Recommended for
approval.*

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

संरक्षक, भारत

वन (संरक्षण) आयोग-1980

पता: W.P., लखनऊ-1

तिथि: 20-6-2017
स्थान: